Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to enact a law to regulate functioning of sports federations

in the country.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): देश के खेल जगत में चाहे बी.सी.सी.आई. हो या अन्य खेल महासंघ जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबाल एवं अन्य एथेलेटिक महासंघों में चुनावों में पारदर्शिता न होने एवं भ्रष्टाचार तथा शोषण के आरोपों पर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर तात्कालिक समाधान देने की कोशिश की है। लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। इस कारण से खिलाड़ियों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए उसका चयन, ड्रेस, भोजन, कोच, स्पोर्ट्स फिजियो, डॉक्टर एवं मैदान जरूरी चीज़ें हैं। सरकार इसमें मदद करती है, लेकिन महासंघों की स्वेच्छाचारिता ने इसे सशक्त एवं न्यायप्रिय नहीं बनने दिया।

अतः मेरी मांग है कि संसद में नया कानून ला कर इन कमियों को दूर कर देश के गौरव को बढ़ाने वाले युवा-युवतियों को संरक्षण देना समय एवं देश की मांग है। खेल मैदानों के रख-रखाव की जिम्मेदारी इन खेल संघों के ऊपर होना चाहिए।